In 1965-66, Rs. 49.50 lakhs for the Low Income Group Housing Scheme and Rs. 14.50 lakhs for the Middle Income Group Housing Scheme.

उत्तर प्रदेश में जलरुद्ध क्षेत्र

4843. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66 में उत्तर प्रदेश में कितना क्षेत्र जलरुद्ध हो गया था; और

(ख) जलरुद्ध क्षेत्र को कृषि योग्य बनाने के लिये उक्त अवधि में कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) मिली हुई सूचना के अनुसार अधी-भूमि जल स्तर में वृद्धि के कारण 4016 एकड़ भूमि में जल जमाव हो गया है परन्तु वर्षा के पानी के इकट्ठा हो जाने के कारण निकास प्रणाली में अवरोध हो जाने से 1,41,725 एकड़ क्षेत्र प्रभावित हुआ है ।

(ख) 1965-66 वर्ष के लिये राज्य की बाढ़ नियंत्रण, जल-जमाव-रोध और जल निकास की सारी स्कीमों पर ध्यान लगाने के लिये राज्य सरकार को 147·50 लाख रुपये स्वीकार किये गये थे ।

उत्तर प्रदेश की सिंचाई की क्षमता

4844. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया है कि वह अपनी सिंचाई योजनाओं को अच्छी तरह कार्यान्वित करने के लिये राज्य की सिंचाई की क्षमता के सम्बन्ध में एक वृहद् योजना तैयार करे; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां । सभी राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे सिंचाई के विकास के लिये वृहद् योजनाओं की रूपरेखा तैयार करें ।

(ख) राज्य सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

प्रोयंकर अधिकारी-परीक्षा

4845. **श्री प० ला० बाड्याल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वित्त मंत्रालय की मांग पर आय कर अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिये की जाने वाली परीक्षा में रखी गई इस शर्त को पांच वर्ष का सरकारी कार्य में उत्तरदायी पद पर कार्य का अनुभव होना आवश्यक है, क्या अर्थ है;

(ख) क्या सरकार का स्थायी कर्मचारी इस प्रयोजन के हेतु उत्तरदायी नहीं समझा जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार के अपर डिविजन/लोअर डिविजन क्लर्कों को इस परीक्षा में बैठने का हकदार होने देने के सम्बन्ध में विचार न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये शर्तों में कुछ छूट है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) से (ग). चूंकि परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवारों की पात्रता का विचार संघ लोक सेवा आयोग करता है, इसलिए "जिम्मेदार पद" किसे समझा जाय, इसका फैसला भी आयोग को ही करना होता है ।

(घ) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उम्र आदि के मामलों में कुछ छूट देने का उल्लेख विशेष रूप से विज्ञापन में ही कर